हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर की शोध एवं विकास परिषद की दिनांक अगस्त 18, 2026 दिन मंगलवार को अपरान्ह् 03:30 बजे विश्विद्यालय के समिति कक्ष में सम्पन्न तृतीय बैठक का कार्यवृत्तः

शोध एवं विकास परिषद् की सम्पन्न तृतीय बैठक में निम्नवत् सदस्यगण ऑफलाइन / ऑनलाइन वीडियो कान्फ्रेन्सिंग द्वारा उपस्थित हुयेः

1.	प्रो0 समशेर, मा0 कुलपति एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	अध्यक्ष
2.	प्रो0 जी0 एल0 देवनानी, अधिष्ठाता, सतत शिक्षा और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	सदस्य
3.	प्रो0 आशीष कपूर, केमिकल इंजी0 विभाग, एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	सदस्य
4.	प्रो0 आशीष कुमार सिंह, इलेक्ट्रिकल इंजी0 विभाग एम0एन0एन0आई0टी0, प्रयागराज उत्तर प्रदेश।	सदस्य
5.	श्री मधुप अग्रवाल, तकनीकी विभागाध्यक्ष इंडियामार्ट इण्टरमेस लिमिटेड 6th फ्लोर टावर 2 एसोटेक बिजनेस क्रेस्टेरा प्लांट नं0 22 सेक्टर–135 नोएडा, उत्तर प्रदेश।	सदस्य
6.	श्री विवेक गुप्ता, वैज्ञानिक-F, उत्तर–पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (MoDONER), सूचना विज्ञान प्रभाग एन0आई0सी0, दिल्ली।	सदस्य
7.	प्रो0 भोला नाथ, विभागाध्यक्ष, सामुदायिक और परिवार चिकित्सा, एम्स रायबरेली उत्तर प्रदेश।	सदस्य
8.	प्रो0 राजेश कुमार वर्मा, अधिष्ठाता, शोध एवं विकास एच0बी0टी0यू0, कानपुर।	सदस्य सचिव

बैठक में निम्न सदस्यगण उपस्थित नहीं हो सकें–

1.	प्रो0 अमेय करकरे, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0 विभाग, आई0आई0टी0, कानपुर	सदस्य
2.	श्री राजेन्द्र कुमार जालान, पूर्व चेयरमैन CLE, E-56, पनकी साइट-3 पनकी इण्डस्ट्रियल एरिया, कानपुर -208022	सदस्य
3.	श्री एम0 डी0 माथुर, एमडी फेयरलैब, L-17/3 DLF, फेस-2 इफको चौक, एमजी मार्ग, गुरूग्राम-122002 हरियाणा	सदस्य

मा0 कुलपति महोदय द्वारा शोध एवं विकास परिषद् के समस्त उपस्थित सम्मानित सदस्यों का स्वागत करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय की शोध एवं विकास परिषद् की विगत बैठक के उपरान्त विश्वविद्यालय में हुई विभिन्न गतिविधियों से अवगत कराया गया।

1. विश्वविद्यालय का 8वां दीक्षान्त समारोह 10 जुलाई 2026 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ जिसमें 996 छात्रों को उपाधि प्रदान की गयी। समारोह की अध्यक्षा माननीया कुलाधिपति एवं श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश द्वारा की गयी तथा मुख्य अतिथि विश्वविद्यालय के गौरवशाली पूर्व छात्र एवं प्रसिद्ध उद्योगपति श्री आर0के0 जालान सम्मिलित हुए।

2. गतवर्ष 04 विभागों प्लास्टिक टेक0, मैकेनिकल इंजी0, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजी0 एवं फूड टेक0 का एन0बी0ए0 द्वारा प्रत्यायन किया गया तथा पेन्ट टेक0/बायोकेमिकल इंजी0/ऑयल टेक0 विभागों की प्रक्रिया गतिमान है।
3. आई0आई0आर0एफ0 रैंकिग में विश्वविद्यालय को प्रदेश स्तर पर आई0आई0टी0 कानपुर एवं आई0आई0टी0 बी0एच0यू0 के बाद 3rd रैंक प्राप्त हुई है तथा देश स्तर पर इंजीनियरिंग कैटेगरी में 19th रैंक प्राप्त हुई है। इसी तरह इण्डिया टुडे में इंजीनियरिंग कैटेगरी में ओवरआल में देश में 22 तथा प्रदेश में आई0आई0टी0 कानपुर के बाद दूसरा तथा शासकीय इंजीनियरिंग संस्थानों में देश में 18वॉ स्थान मिला है।
4. वर्ष 2026 में 05 नियमित शिक्षक (असि0 प्रोफेसर, 01 एसो0 प्रोफेसर एवं 02 प्रोफेसर) एवं अधिकारियों (मेडिकल अधिकारी) एवं 90 असिस्टेन्ट प्रोफेसर (कॉन्ट्रेक्ट) भर्ती की गयी है।
5. गत वर्ष सभी शैक्षिक गतिविधियां, पूर्व निर्धारित एकैडेमिक कैलेण्डर के अनुसार अनुशासित ढंग से सम्पादित की गयी।
6. आगामी शैक्षिक सत्र में बी0बी0ए0 की प्रवेश क्षमता 60 से 120 की जा रही है तथा कई नये पाठ्यक्रम जैसे B.Tech. in AI/ML, M.Tech. in Signal Processing & Machine Learning, M.Sc. in Forensic Bioanalytics शुरू किये जा रहे हैं। इस प्रकार पिछले पांच सालों में कई नये पाठ्यक्रम शुरू किये गये जिसके कारण छात्रों की संख्या लगभग दो गुना हो गयी है, जिससे विश्वविद्यालय समाज के ज्यादा से ज्यादा नवयुवकों को रोजगारपरक शिक्षा देने में सक्षम रहा है।
7. सत्र 2025–26 सत्र के लिये प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण है। इस वर्ष भी लगभग सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश में देश तथा विदेश के छात्रों ने रूचि दिखाई है। सम्बन्धित रेगुलेटर के अनुसार Course Curriculam Revision किया जा रहा है जो इस सत्र 2026–27 से लागू हो गया है।
8. इस वर्ष प्रवेश सम्बन्धी जानकारी हेतु विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक AI Agent/Chatbot "HBTU Mitra" बनाया गया है, जिससे 24 घण्टे छात्रों एवं अभिभावकों की समस्या का समाधान हो रहा है।
9. समावेशिता और विविधता सुनिश्चित करने के लिए अन्य राज्यों (इस बार 16 राज्यों) और विदेशी नागरिकों के छात्रों को प्रवेश दिया जा रहा है।
10. विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट बहुत अच्छा रहा है लगभग 80% योग्य छात्रों 715+ को विभिन्न कंपनियों में प्लेसमेंट मिला है जिसमें 180 कम्पनियों ने प्रतिभाग किया है, जो कि पिछले सत्र से काफी अधिक है। इस वर्ष लगभग 200 छात्रों को Paid इर्न्टनशिप प्राप्त हुई है।
11. विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों ने भी वित्तीय योगदान देना शुरू कर दिया है। जिसके अर्न्तगत 1999 बैच द्वारा एम्बुलेन्स तथा एक नये ब्यॉज छात्रावास की किचन आटोमेशन, Alumni Association द्वारा दो गर्ल्स हास्टल्स के किचन का आटोमेशन, 1975 बैच द्वारा 20 लाख कीमत का लॉन टेनिस आदि प्रदान किये गये।
12. छात्रों की संख्या 2019 में लगभग 2500 थी, जो कि वर्तमान में लगभग 5500 हो गई है।

13. छात्रावास आवंटन हेतु हॉस्टल मैनेजमेन्ट सिस्टम (HMS) तथा द्वितीय वर्ष के छात्रों की ब्रांच चेज हेतु नया साफ्टवेयर बनाया गया है, जिसका माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा अष्टम् दीक्षांत समारोह में उद्घाटन किया गया।
14. इस वर्ष स्कूल आफ इन्टरप्रेन्योरशिप में नये 15 कमरे, डिसपेन्सरी का एक्सटेन्शन जिसमें 10 बेडेड वार्ड, तीन चिकित्सक रूम, एक फार्मेसी रूम, 1975 बैच के एल्यूमिनी द्वारा प्रदत्त एक लॉन टेनिस कोर्ट, कम्प्यूटर साइंस डिपार्टमेन्ट में 06 क्लासरूम्स, नई इन्नोवेशन बिल्डिंग, एक टाइप–5 आवास का निर्माण पूरा करने के साथ–साथ विश्वविद्यालय के दोनों कैम्पेस (पूर्वी एवं पश्चिमी प्रांगण) में ओपेन जिम की स्थापना तथा एक नई बस क्रय की गयी है। इन सभी नई सुविधाओं का उद्घाटन एवं लोकार्पण माननीया कुलाधिपति महोदया द्वारा 8वें दीक्षांत समारोह में किया गया।
15. एक Girls Hostel जिसकी क्षमता 100, तथा एक Boys Hostel जिसकी क्षमता 100, है, का निर्माण कार्य चल रहा है तथा जल्द ही छात्र/छात्राओं को आवंटित कर दिया जायेगा। 06 टाइप–4 क्वार्टर्स, 03 बैडमिन्टन कोर्ट, 02 टेबल टेनिस कोर्ट, सड़क एवं अन्य रेनोवेशन कार्य प्रगति पर है। केन्द्र एवं राज्य सरकार की सम्मिलित रूसा परियोजना में रूकी हुयी धनराशि प्राप्त होने से अवशेष नयी मशीनें एवं पुस्तकें भी क्रय की जा रही है।
16. नवीन सड़क एवं सड़कों के चौड़ीकरण तथा प्रयोगशालाओं/कक्षों का नवीनीकरण कार्य किया जा रहा।
17. शिक्षकों द्वारा अद्यतन लगभग 24 स्टेट एवं सेन्ट्रल फण्डेड प्रोजेक्ट्स हासिल किये गये हैं तथा विश्वविद्यालय ने 22 नवनियुक्त असिस्टेंट प्रोफेसर्स को उनके द्वारा प्रस्तुत शोध एवं विकास योजना के अर्न्तगत प्रोजेक्ट हेतु लगभग 02 लाख रूपये प्रति प्रोजेक्ट की सीड मनी दी है।
18. रिसर्च को और बढ़ाने हेतु रिसर्च एक्सिलेन्स अवार्ड की राशि को रू 10,000 से बढ़कर रू 25,000 किया गया है। इस वर्ष 18 शिक्षकों को यह अवार्ड अष्टम् दीक्षांत समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया।
19. हाल ही में विश्वविद्यालय के 113 में 17 शिक्षकों को Global Scientific Index रैंकिंग में विश्व के शीर्ष 05 प्रतिशत शोधकर्ताओं में स्थान प्राप्त हुआ है तथा 06 शिक्षक Stanford द्वारा जारी विश्व के शीर्ष 2 प्रतिशत की सूची में शामिल हैं।
20. हमारे छात्रों ने ISRO द्वारा आयोजित IROC-U में प्रतिभाग किया। जिससे देश भर की 275 टीमों में विश्वविद्यालय अंतिम 35 में पहुंच गया हैं, जो कि प्रदेश में आई0आई0टी0 कानपुर के बाद विश्वविद्यालय दूसरी टीम है।
21. विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत इंडस्ट्रीज के अधिकारियों की ट्रेनिंग शुरू की है। इण्डियन ऑयल के अधिकारियों के लिये प्लास्टिक विभाग द्वारा 02 सप्ताह के दो ट्रेनिंग प्रोग्राम तथा पेंट विभाग द्वारा विभिन्न पेंट कम्पनीज के अधिकारियों तथा इंजीनियर्स हेतु विश्वविद्यालय में 01 सप्ताह में दो ट्रेनिंग प्रोग्राम किये गये। एमओयू के तहत रेड्डीज फार्मास्यूटिकल कम्पनी के अधिकारियों को केमिकल इंजीनियरिंग विभाग द्वारा उनकी कम्पनी में भ्रमण कर एक्जीक्यूटिव डेवलपमेन्ट प्रोग्राम कराया गया।

22. विश्वविद्यालय संचालित Laboratories को NABL से Accreditation हेतु प्रयासरत है। ऑयल डिपार्टमेन्ट की एक लैब के प्रत्यायन हेतु 22–23 अगस्त को NABL टीम का निरीक्षण निर्धारित है।
23. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों/उद्योगों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए हैं।
24. पिछले वर्ष लगभग 450 पुस्तक/पुस्तक अध्याय, शोध पत्र एवं सम्मेलन की कार्यवाही प्रकाशित हुयी तथा कई, पेटेंट प्रकाशित/प्रदान किये गये। इसके साथ ही विगत वर्ष से अधिक परामर्श सेवाए इस वर्ष विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गयी।
25. विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष 2–3 बार ब्लड डोनेशन कैम्प, वृक्षारोपण, सफाई अभियान, वृद्धाश्रम का भ्रमण, बालक–बालिका गृहों का भ्रमण तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, गोद लिये 05 गांवो इन्टरेक्टिव पैनल, कई वर्षो से 100 आंगनबाड़ी किट का बांटना, हेल्थ प्रोग्राम आदि आयोजित किये जा रहे हैं।

मद सं0 3.01 विश्वविद्यालय की शोध एवं विकास परिषद की दिनांक 23.08.2025 को सम्पन्न द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण।

परिषद् द्वारा विश्वविद्यालय की शोध एवं विकास परिषद् की दिनांक 23.08.2025 को सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का अवलोकन किया गया। कार्यवृत्त पूर्व में परिषद् के सदस्यों को प्रेषित किया जा चुका था तथा उस पर कोई टीका टिप्पणी प्राप्त नहीं हुयी एवं परिषद् द्वारा दिनांक 23.08.2025 को सम्पन्न हुई द्वितीय बैठक के कार्यवृत्त का पुष्टीकरण किया गया।

मद सं0 3.02 विश्वविद्यालय की शोध एवं विकास परिषद की दिनांक 23.08.2025 को सम्पन्न द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही का विवरण।

परिषद के समक्ष द्वितीय बैठक में लिये गये विभिन्न निर्णयों पर की गयी कृत कार्यवाही का विवरण प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा शोध प्रोत्साहन नीति, एमओयू, Ph.D. संबंधित SRAC समितियों, शोध परियोजनाओं, पेटेन्ट, शोध उत्कृष्टता पुरस्कार तथा अन्य शोध संबंधी विषयों पर की गयी कार्यवाही का अवलोकन किया गया एवं परिषद द्वारा कृत कार्यवाही विवरण का संज्ञान लिया गया।

मद सं0 3.03 विश्वविद्यालय में शोध प्रोत्साहन नीति के तहत योजना में 22 सहायक आचार्यो को परियोजना निर्गत किये जाने के संबंध में सूचना।

परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में Seed Money Project योजना के अन्तर्गत परीक्षण/चयन की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त 22 सहायक आचार्यो को परियोजना स्वीकृति पत्र निर्गत किये गये है। परिषद द्वारा उक्त कार्यवाही का संज्ञान लिया गया तथा संबंधित परियोजनाओं को विश्वविद्यालय नियमानुसर ससमय संचालित एवं पूर्ण किये जाने हेतु निर्देश दिया गया। 06 माह पश्चात् समिति के माध्यम से Project Progress Review किया जाए साथ ही परिषद द्वारा निर्देशित

किया गया कि 22 सहायक आचार्य अपने शोध कार्यो के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु वित्त पोषण एजेंसियों को शीघ्र शोध प्रस्ताव प्रस्तुत करें। R&D Project Submission हेतु अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष समय–समय पर समस्त संकाय सदस्यों को प्रेरित/निर्देशित करेगें।

मद सं0 3.04 विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप योजना प्रारम्भ किये जाने के संबंध में सूचना।

परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरल फैलोशिप योजना के अर्न्तगत 06 शिक्षकों का Provisional चयन किया गया एवं चयन समिति द्वारा प्राप्त सुझावो/टिप्पणी को पूर्ण कर अग्रेतर कार्यवाही प्रकरण में की जाए। प्रत्येक स्कूलवार एक Faculty Mentor के चयन हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 3.05 विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2025–26 में अलग–अलग विषयों में पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची।

परिषद के समक्ष शैक्षिक सत्र 2025–26 में विभिन्न विषयों में 15 छात्र/छात्राओं को पी0एच0डी0 उपाधि प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं की सूची प्रस्तुत की गयी एवं परिषद द्वारा प्रस्तुत सूची का संज्ञान लिया गया एवं विभागों को निर्देशित किया गया कि पर्यवेक्षक एवं छात्रों के साथ समन्वय कर पी0एच0डी उपाधि छात्र/छात्राओं की संख्या में बढ़ोतरी की जाए।

मद सं0 3.06 विश्वविद्यालय में अलग–अलग विधाओं में अध्ययनरत शैक्षिक सत्र 2025–26 में पी0एच0डी0 छात्र/छात्राओं का विवरण।

परिषद के समक्ष शैक्षिक सत्र 2025–26 में विभिन्न विद्याओं में अध्ययनरत हेतु छात्र/छात्राओं का विद्यावार विवरण प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा प्रस्तुत विवरण का संज्ञान लिया गया एवं पी0एच0डी0 की गुणवत्ता शोध कार्य हेतु विभागों को निर्देशित किया गया।

मद सं0 3.07 विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 हेतु SRAC कराये जाने संबंधित प्रपत्रों के संबंध में सूचना।

परिषद के समक्ष पी0एच0डी0 शोधार्थियों के SRAC हेतु निर्धारित संबंधित प्रपत्रों एवं प्रक्रिया का विवरण प्रस्तुत किया गया। परिषद को अवगत कराया गया कि विभागों द्वारा विभिन्न प्रकार के Formats, SRAC Report, Ph.D प्रकरणों एवं Ph.D छात्र/छात्राओं द्वारा Presubmission अनुमोदन हेतु पत्रावली प्रस्तुत करने पर समस्त दस्तावेज पूर्ण न होने के कारण अग्रेतर कार्यवाही में विलम्ब होने के कारण छात्र हित में Ph.D प्रक्रिया को Fast-Track पर करने हेतु प्रस्ताव पर अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय स्तर पर एकरूपता हेतु प्रारूपों पर परिषद द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 3.08 **विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों के बीच वर्ष 2025–26 में सम्पन्न एम0ओ0यू0 का विवरण।**

परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों के मध्य वर्ष 2025–26 में सम्पन्न एम0ओ0यू0 का विवरण प्रस्तुत किया गया एवं सम्पन्न एम0ओ0यू0 की परिषद द्वारा सराहना की गयी तथा शोध, नवाचार, तकनीकी सहयोग एवं अन्य शैक्षिणक गतिविधियों को प्रभावी रूप से बढ़ावा देने पर जोर दिया गया।

मद सं0 3.09 **विश्वविद्यालय में वर्ष 2025–26 में विभिन्न राज्य स्तरीय/केन्द्रीय/निजी वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त शोध परियोजनाओं का विवरण।**

परिषद के समक्ष वर्ष 2025–26 में विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा विभिन्न राज्य स्तरीय, केन्द्रीय एवं निजी वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त 46 शोध परियोजनाओं का विवरण प्रस्तुत किया गया। परिषद द्वारा बाह्य वित्तपोषित शोध परियोजनाओं को प्राप्त करने हेतु विभागों को निर्देश दिये गये कि प्रत्येक विभाग कम से कम 7–8 शोध प्रस्ताव प्रतिवर्ष बाह्य वित्तपोषण एजेंसियों को प्रस्तुत करें एवं शिक्षकों को निरंतर शोध परियोजना जमा करने हेतु प्रोत्साहित करें।

मद सं0 3.10 **विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा वर्ष 2025–26 में अर्जित किये गये पेटेन्ट का विवरण।**

परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा वर्ष 2025–26 में अर्जित किये गये 28 पेटेन्ट का विवरण प्रस्तुत किया गया एवं परिषद द्वारा पेटेन्ट संबंधी उपलब्धियों की सराहना की गयी तथा शोध परिणामों के पेटेन्ट, तकनीकी विकास एवं व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रोत्साहित किया गया।

मद सं0 3.11 **शोध उत्कृष्टता पुरस्कार नीति–2026 में संशोधन करने के संबंध में सूचना।**

परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय में शोध उत्कृष्टता पुरस्कार नीति–2026 (Revised Policy-2026) में प्रस्तावित संशोधनों का विवरण प्रस्तुत किया गया। संशोधित नीति के अनुसार पात्र शिक्षकों द्वारा न्यूनतम 80 अंक प्राप्त करने पर रू0 25,000 तथा प्रत्येक आगामी 10 अंको के लिए रू0 10,000 अतिरिक्त पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान किया गया है। परिषद द्वारा संशोधित शोध उत्कृष्टता पुरस्कार नीति–2026 से संज्ञानित हुए एवं कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी।

मद सं0 3.12 **विश्वविद्यालय में वर्ष 2025 एवं 2026 में शोध उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों का विवरण।**

परिषद के समक्ष वर्ष 2025 में 14 शिक्षक एवं वर्ष 2026 में 18 शिक्षकों को शोध उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों की सूची प्रस्तुत की गयी एवं परिषद द्वारा प्रस्तुत सूची का संज्ञान लिया गया तथा शोध के

क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने हेतु संबंधित शिक्षकों की सराहना की गयी।

मद सं0 3.13 **विश्वविद्यालय के शिक्षक Standford University और Elsevier द्वारा तैयार की गई विश्व के 2% वैज्ञानिक की सूची एवं ग्लोबल साइंटिफिक इंडेक्स (GSI) जून 2026 द्वारा तैयार विश्व के 5% शोधकर्ताओं की सूची में सम्मिलित शिक्षकों का विवरण।**

परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय के शिक्षकों का विवरण प्रस्तुत किया गया जो Stanford University एवं Elsevier द्वारा तैयार विश्व के 2% वैज्ञानिको की सूची में 06 शिक्षक तथा Global Scientific Index (GSI), जून 2026 द्वारा तैयार विश्व के 5% शोधकर्ताओं की सूची में 17 शिक्षक सम्मिलित हुए। परिषद द्वारा उक्त उपलब्धियों का संज्ञान लिया गया तथा संबंधित शिक्षकों को बधाई देते हुए विश्वविद्यालय की वैश्विक शोध पहचान को और सुदृढ़ करने हेतु उच्च गुणवत्ता के शोध कार्यो को प्रोत्साहित किया गया।

मद सं0 3.14 **विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा वर्ष 2025–26 में प्रकाशित पुस्तको, पुस्तक–अध्यायों, शोध पत्रों, संगोष्ठी शोध पत्रों, आयोजित और भाग लिये गये शैक्षिक कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय/अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठीयों में दिये गये व्याख्यानों का विवरण।**

परिषद के समक्ष वर्ष 2025–26 में विश्वविद्यालय के शिक्षकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों, पुस्तक–अध्याय, शोध पत्रों, संगोष्ठी शोध पत्रों, संगोष्ठी शोध पत्रों, आयोजित/प्रतिभाग किये गये शैक्षिक कार्यक्रमों एवं राष्ट्रीय/अन्तराराष्ट्रीय संगोष्ठियों में दिये गये व्याख्यानों का विवरण प्रस्तुत किया गया एवं परिषद द्वारा प्रस्तुत विवरण का संज्ञान लिया गया तथा शिक्षकों के उच्च गुणवत्ता के शोध प्रकाशनों एवं विगत वर्षों में 2025–26 में शोध कार्यो में उल्लेखनीय बढ़ोत्तरी हेतु परिषद द्वारा संकाय सदस्यों की सराहना की गयी।

मद सं0 3.15 **विश्वविद्यालय में पी0एच0डी0 उपाधि हेतु लागू अध्यादेश में पूर्णकालिक एवं अंशकालिक शोधार्थियों हेतु विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम अवधि तीन वर्ष से पूर्व थीसिस जमा करने के नियम में संशोधन किये जाने के संबंध में सूचना।**

परिषद के समक्ष पूर्णकालिक एव अंशकालिक पी0एच0डी0 अवधि को तीन वर्ष एवं शोधार्थियों द्वारा विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम निर्धारित अवधि से पूर्व थीसिस जमा किये जाने संबंधी प्रावधान में संशोधन हेतु विद्या परिषद के निर्णय (28.06) से संज्ञानित हुयी। विशेष परिस्थितियों हेतु गठित समिति की संस्तुतियों पर परिषद द्वारा कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया गया।

मद सं0 3.16 **विश्वविद्यालय में शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु HBTU-Research Publications Policy प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।**

परिषद के समक्ष विश्वविद्यालय में शोध पत्र प्रकाशित करने हेतु HBTU-Research Publications Policy का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया विश्वविद्यालय की संबद्धता से किए गए शोध से उत्पन्न शोध प्रकाशनों के लेखन को निर्धारित करने के लिए पारदर्शी और नैतिक दिशानिर्देश स्थापित करने हेतु HBTU-Research Publications Policy का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। यह नीति लेखन के मानदंड, लेखकों का क्रम, लेखकों की जिम्मेदारियां, अनैतिक लेखन प्रथाओं की रोकथाम, लेखन विवादों का समाधान और सभी संकाय सदस्यों, शोध विद्वानों परियोजना कर्मचारियों तथा छात्रों द्वारा अनुपालन को रेखांकित करती है। परिषद द्वारा प्रस्तावित HBTU-Research Publications Policy पर सक्षम स्तर द्वारा गठित समिति की संस्तुति पर गहन विचार–विमर्श करते हुए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गयी एवं वर्तमान शैक्षिणक सत्र 2026–27 से विश्वविद्यालय में लागू करने हेतु निर्णय लिया गया।

मद सं0 3.17 विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय /केन्द्रीय /निजी वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त शोध परियोजनाओं में नियुक्त होने वाले शोध सहायको को उनकी योग्यतानुसार M.Tech. या Ph.D. में प्रवेश दिये जाने के संबंध में।

परिषद द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय/केन्द्रीय/निजी वित्तपोषण संस्थाओं से प्राप्त शोध परियोजनाओं में नियुक्त होने वाले शोध सहायको को उनकी योग्यतानुसार M.Tech. या Ph.D. में प्रवेश हेतु गहन विचार किया गया साथ ही M.Tech.या Ph.D. पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु Full time/Part time, Course Duration,Thesis Copyright आदि प्रकरणों पर पृथक प्रस्ताव अधिष्ठाता शैक्षिक क्रियाकलाप के माध्यम से प्रस्तुत किये जाए एवं उक्त प्रकरण पर परिषद द्वारा मा0 कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया।

मद सं0 3.18 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य पर विचार।

कोई अन्य प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया।

Hon'ble VC Sir

(प्रो0 राजेश कुमार वर्मा)
अधिष्ठाता, शोध एवं विकास
एवं
सदस्य सचिव, शोध एवं विकास परिषद

Approved
20/8/2026

DC(R&D)

कुलपति
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय
कानपुर–2

HARCOURT BUTLER TECHNICAL UNIVERSITY (HBTU), KANPUR

AUTHORSHIP POLICY FOR RESEARCH PUBLICATIONS

Preamble

Authorship of scholarly publications is both a privilege and a responsibility. It signifies a substantial intellectual contribution to research and acknowledges accountability for the integrity, accuracy, and originality of the published work. HBTU is committed to promoting ethical research practices, transparency, fairness, and academic integrity in all research activities.

This policy aims to establish clear guidelines for determining authorship, preventing unethical authorship practices, protecting the interests of research scholars and faculty members, and ensuring that publications arising from research conducted at HBTU appropriately recognize individual contributions. The policy shall apply to all journal articles, conference papers, book chapters, patents, technical reports, theses, dissertations, project reports, and other scholarly outputs produced wholly or partly using the University's academic or research facilities.

Guidelines

1. **Original Research Contribution**: Every thesis, dissertation, project report, or research publication must represent original research carried out by the student or researcher during the period of enrollment at HBTU under the approved research program or sponsored project.

2. **Inclusion of Published Work in Thesis/Dissertation:** For inclusion of published work in a thesis/dissertation, the following minimum requirements shall be fulfilled as per the applicable Ordinances of the University:

   2.1 The work shall be directly related to the approved research topic.

   2.3 Proper references and acknowledgements shall be provided.

   2.3 The respective contributions of the candidate and co-authors shall be clearly stated.

   2.4 The inclusion shall comply with the applicable Ordinances and academic regulations of the University.

   Moreover, only after fulfillment of the minimum publication requirements prescribed for dissertation/thesis submission, due credit may be accorded to contributors from other institutions to encourage and promote collaborative research.

12.08.2026

12/8/2026

3. **Statement of Contribution**: Whenever a published paper forms part of a thesis or dissertation, the candidate shall include a clear statement describing his/her specific intellectual contributions, including conceptualization, experimentation, data analysis, software development, manuscript preparation, or any other significant scholarly input.

4. **Criteria for Authorship**: Authorship shall be granted only to individuals who have made substantial intellectual contributions to one or more of the following:

   4.1 Conceptualization and design of the research;

   4.2 Experimental investigation or data collection;

   4.3 Data analysis and interpretation;

   4.4 Development of methodology, models, or software;

   4.5 Drafting or critically revising the manuscript; and

   4.6 Approval of the final version prior to submission.

5 **Order of Authors**

5.1 The order of authors shall reflect the relative intellectual contributions of the contributors and shall be determined through mutual agreement before manuscript submission.

5.2 In publications arising from a student's thesis or dissertation, the research scholar shall normally be the **first author/and or corresponding author,** while the supervisor(s) shall ordinarily be listed as **corresponding author or co-author(s),** depending upon their academic contribution.

6 **Responsibilities of Authors**

All authors shall:

6.1 ensure that the research and publication are presented accurately and honestly;

6.2 take reasonable responsibility for the portions of the work to which they have contributed;

6.3 disclose any relevant conflicts of interest;

6.4 review and approve the final manuscript before submission, as practicable; and

6.5 cooperate in addressing any questions concerning the accuracy, integrity, or authenticity of the work.

Each author should be able to identify and explain his/her specific contribution to the publication.

12.08.2026

12/8/2026

7 Prohibited Authorship Practices

The following practices are considered inappropriate and shall not be permitted:

7.1 **Gift or honorary authorship:** listing a person as an author without a substantial scholarly contribution;

7.2 **Ghost authorship:** excluding a person who has made a substantial contribution to the research or manuscript without appropriate justification;

7.3 **Coercive authorship:** requiring or pressuring an individual to include or exclude a person as an author without a legitimate scholarly basis;

7.4 **Improper exclusion:** excluding a contributor who satisfies the applicable authorship criteria;

7.5 **Misrepresentation of contribution:** falsely representing the contribution of an author;

7.6 **Unauthorized alteration of authorship:** adding, removing, or changing the order of authors without appropriate consent.

8. Resolution of Authorship Disputes

8.1 Any dispute relating to authorship shall initially be resolved through discussion among the concerned authors.

8.2 If unresolved, the matter shall be referred to the Head of the Department and, if necessary, to the Dean (Research & Development)/ Chairman University Academic Integrity Panel for appropriate resolution.

9. Research Integrity and Accountability

Authorship establishes both **credit and accountability**. A person listed as an author should have made a meaningful contribution to the work and should accept appropriate responsibility for the integrity of his/her contribution. Anyone listed as an author on a paper should accept responsibility for ensuring that he/she is familiar with the contents and can identify their contribution to it.

Where concerns arise regarding fabrication, falsification, plagiarism, manipulation of data, or other forms of research misconduct, the matter shall be dealt with in accordance with the applicable University rules and research integrity procedures.

12.08.2026

12/8/2026

10. University reserves the right to appropriately consider the issues which arise due to the above or those which are not covered through this policy. The decision taken by the Vice Chancellor on the recommendation of the Dean, Research and Development will be final and binding.

11. No representation shall be entertained on the action taken upon the defaulters breaching the prescribed authorship policy.

12. In the event of violation of the authorship policy, the University authority shall take the final decision after necessary investigation as required in the matter. Action against those violating the policy will be taken by the respective Dean after approval of the Vice Chancellor.

13. **Compliance**: All faculty members, research scholars, project staff, and students shall comply with this policy while preparing and submitting scholarly publications based on research conducted.

14. Any amendments to the Research Authorship Policy shall be made in accordance with the directions and approval of the Hon'ble Vice-Chancellor, HBTU, Kanpur.

12.08.2024

12/8/2024

कार्यालय–अधिष्ठाता, शोध एवं विकास
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय कानपुर –02

दिनांक: अगस्त 05, 2026

पत्रांक: 475 / DoRD / 2026

–:कार्यालय ज्ञाप:–

अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् की 28वीं बैठक के मद सं0 28.06 एवं अधिष्ठाता शैक्षिक क्रियाकलाप कार्यालय के पत्रांक सं0 488/शैक्षिक/वि0प0–कार्यवृत्त/2026–27 दिनांक 06.07.2026 एवं पूर्व निर्गत कार्यालय पत्रांक सं0 436 / DoRD / 2026 दिनांक 20.07.2026 के क्रम में मा0 कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय के Ph.D पाठ्यक्रम में संशोधन हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

1. पूर्णकालिक एवं अंशकालिक Ph.D छात्र / छात्राओं हेतु न्यूनतम अवधि तीन वर्ष होगी।
2. विशेष परिस्थितियों में पी0एच0डी0 अध्यादेशों में निहित समस्त प्रावधानों के पूर्ण होने पर एवं असाधारण शोध कार्य जैसे कि उच्च श्रेणी के Non Paid SCI/SCIE Journal Papers, Book/Chapters आदि प्रकाशित करने के उपरान्त . छात्र / छात्राओं (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) द्वारा न्यूनतम अवधि तीन वर्ष से पूर्व थीसिस जमा करने की अनुमति SRAC की स्पष्ट आख्या सहित, अधिष्ठाता शोध एवं विकास की संस्तुति के साथ मा0 कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त प्रदान की जा सकती है किन्तु Ph.D छात्र / छात्राओं (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) को पी0एच0डी0 उपाधि न्यूनतम तीन वर्ष के बाद ही प्रदान की जायेगी।

सक्षम स्तर के निर्देशानुसार प्रकरण में विशेष परिस्थितियों को निम्नवत् परिभाषित / निर्धारित किया गया है–

(i) विश्वविद्यालय Ph.D Ordinance के अनुसार न्यूनतम आवश्यकता के साथ एक (01) अतिरिक्त SCI/SCIE Paper प्रकाशित होने चाहिए।

(ii) थीसिस के समस्त Objectives पूर्ण होने चाहिए।

(iii) Review Papers को थीसिस जमा करने का आधार नहीं माना जायेगा।

(iv) न्यूनतम पाँच (05) *सेमेस्टर की SRAC Report Satisfactory होना चाहिए।*

(v) शोध पत्रों में केवल छात्र एवं Supervisor(s) *का नाम होना चाहिए।*

उक्त के क्रम में विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् Ph.D छात्र / छात्राओं (पूर्णकालिक एवं अंशकालिक) के विद्यमान Ph.D अध्यादेशों में तदअनुसार लागू कर दिया गया है।

(प्रो0 राजेश कुमार वर्मा)
अधिष्ठाता शोध एवं विकास

प्रतिलिपि:– निम्नोक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. अधिष्ठाता शैक्षिक क्रियाकलाप एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
2. परीक्षा नियंत्रक एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
3. समस्त अधिष्ठाता स्कूल एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
4. समस्त विभागाध्यक्ष एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
5. कुलसचिव / वित्त नियंत्रक एच0बी0टी0यू0 कानपुर।
6. विशेष कार्याधिकारी, कुलपति कार्यालय को मा0 कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

(प्रो0 राजेश कुमार वर्मा)
अधिष्ठाता शोध एवं विकास

o/c